Witness No. 01-, for .....अभियोजन साक्ष्य...................... Deposition taken

on the 21-11-2023-- day of --------------, Witness's apparent age 39 years--------

States on affirmation ——— My name is -———प्रमोद कुमार———

wife/son of ——श्री किसन कुमार——— Occupation — ठेकेदारी

Address— वार्ड क 21 दल्लीराजहरा, तहसील डौण्डी, जिला बालोद छ0ग0—

<u>आ0प्र0क0 784/2022</u>
<u>शासन वि0 तिलकराम निषाद</u>
<u>समय—11:55 बजे</u>

---

01. आरोपी अनुपस्थित। साक्षी को आरोपी का गिरफ्तारी पत्रक में चस्पित फोटो दिखाकर पूछे जाने पर साक्षी ने आरोपी को नहीं जानना व्यक्त किया।

02. घटना लगभग एक डेढ़ वर्ष पूर्व की है। धटना दिनांक को मैं अपने काम से थाना गया था, तभी पुलिसवालों ने मुझे कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराया था। मेरे समक्ष किसी भी प्रकार की कोई जप्ती नहीं हुई थी।

03. धारा 160 का नोटिस प्रपी 1, सहमति पत्र प्रपी 2, मुखबीर सूचना प्रपी 3, तलाशी वारंट प्राप्त न हो पाने का पंचनामा प्रपी 4, तलाशी हेतु नोटिस प्रपी 5, पुलिस पार्टी एवं गवाह की तलाशी हेतु नोटिस प्रपी 6, व्यक्ति की तलाशी प्रपी 7, बरामदगी प्रपी 8, सामान पहचान पंचनामा प्रपी 9, जप्ती पत्रक प्रपी 10, सील नमूना प्रपी 11, गिरफतारी पत्रक प्रपी 12, नजरी नक्शा प्रपी 13 के क्रमशः अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है। मैंने पुलिस को कोई बयान नहीं दिया था।

टीप— इसी स्तर पर अभियोजन अधिकारी द्वारा साक्ष्य अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने हेतु न्यायालय से अनुमति लिया गया। बाद विचार अनुमति दी गई।

04. यह कहना गलत है मुझे धारा 160 जाफौ का नोटिस दिये थे। यह कहना गलत है कि, पुलिसवालें मेरे समक्ष प्रपी 1 से प्रपी 13 तक की कार्यवाही किये थे। यह कहना गलत है कि, दिनांक 04.09.2022 को वार्ड क 22 दुर्गा मंदिर के पास आरोपी के द्वारा पेश करने पर उसके कब्जे से मेरे समक्ष एक गुलाबी सफेद रंग के कैरी बैग थैला में महावीर जनरल स्टोर्स लिखा है, में भरा 15 पौवा देशी प्लेन शराब प्रत्येक में 180 एमएल भरा रेपर लगा हुआ एवं बैच नंबर लिखा हुआ कुल 2.700 एमएल कीमती 1200 रूपये एवं 4 पौवा गोवा स्पेशल विस्की अंग्रेजी शराब जिसमें बैच नंबर लिखा हुआ प्रत्येक पौवा में 180 एमएल भरा हुआ कुल 2.70 एमएल कीमती 480 रूपये तथा एक पौवा मैक्डोनल सुपर विस्की 180 एमएल भरा हुआ कीमती 200 रूपये सीलबंद जुमला 3.600 एमएल तथा बिक्री रकम 100—100 रूपये का पांच नोट कुल 500 रूपये जुमला 2380 रूपये जप्त किया गया था। यह कहना सही है कि, मै आठवीं तक पढ़ा लिखा हूं। यह कहना गलत है कि समस्त दस्तावेजों को पढकर समझकर हस्ताक्षर किया हूं। यह कहना गलत है कि, मैं आरोपी को बचाने के लिये मै आज न्यायालय में सही बातों को नहीं बता रहा हूं।

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री मनोज खोब्रागढे अधिवक्ता वास्ते आरोपी</u>

05. कुछ नहीं।

साक्ष्य समय—12:05 बजे तक।

वाचित सही स्वीकृत **मेरे निर्देशन पर टंकित।**

SONI TIWARI Digitally signed by SONI TIWARI

गवाह के हस्ताक्षर

SONI TIWARI Digitally signed by SONI TIWARI

(श्रीमती सोनी तिवारी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
दल्लीराजहरा (छ0ग0)

(श्रीमती सोनी तिवारी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
दल्लीराजहरा (छ0ग0)